UPLK010164752022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या 2513/2022

सरकार बनाम सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा

मु0अ0सं0 144/2022
अंतर्गत धारा–354क भा0दं0सं0
एवं धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना निगोंहा, जिला– लखनऊ।

दिनांक–16.04.2024

आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 दिनांकित 05.03.2024 आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा द्वारा सत्र वाद संख्या 2513/2022 मु0अ0सं0 144/2022 अंतर्गत धारा–354क भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना–निगोंहा, जनपद लखनऊ, के आरोप में उन्मोचित किया जाये।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उन्मोचन हेतु यह आधार लिया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस सांठगांठ करके आवेदक/अभियुक्त को परेशान करने की नियत से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उस पर मिथ्या, झूठे एवं निराधार आरोप लगाये गये हैं। घटना का कोई स्वंत्रत साक्षी न होना घटना को संदेहास्पद बनाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन एवं वादिनी के बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में विरोधाभास है। चिकित्सीकीय आख्या के अनुसार मजरूबा को कोई चोट अथवा दर्द की शिकायत नहीं थी। अतः आवेदक/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसे मामले से उन्मोचित किया जाये।

अभियोजन की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए आवेदक/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सी0डी0 2 में वादिनी मुकदमा साक्षी रावत का बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं घटना का समर्थन किया गया है। इसी प्रकार केस डायरी के पर्चा नं0 6 में पीड़िता/वादिनी का बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है, इसमें भी वादिनी ने घटना का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा नं0

7 में स्वतंत्र साक्षी सुभाष चन्द्र अवस्थी, रामू रावत, राजाराम कोरी व श्रीमती अनीता रावत का बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है, जिनके द्वारा भी घटना का सर्मथन किया गया है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 144/2022 अंतर्गत धारा–354क भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, थाना–निगोंहा में सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा के विरूद्ध दर्ज कराई गयी है और गवाहों का बयान अंकित किये जाने व अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात् बाद विवेचक द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा के विरूद्ध धारा 354क भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफॅ पंजाब (2014)3 एस0सी0सी0 92*** में प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी मामले में आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या पत्रावली पर इस प्रकार का साक्ष्य आदि उपलब्ध है, जिससे युक्तियुक्त रूप में यह स्पष्ट होता हो कि आरोपित किये जाने वाले अपराध में अभियुक्त संलिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अन्य किसी तथ्य की जांच नहीं की जानी है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता रही है तो उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

हेमचन्द बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए.आई.आर.2008 एस.सी. 1903 इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को सीमित क्षेत्राधिकार होता है। इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं। इसी मामले में आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि चार्ज के स्टेज पर केवल और केवल विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों को ही पढ़ा जायेगा। अभियुक्त/बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया अभिलेखीय साक्ष्य पठनीय नहीं होगा। **Onkar Nath Mishra and others Vs. State of Delhi and others (2008) SCC (Criminal) Page 507** by the Hon'ble Supreme Court that at the stage of framing of charge the court is required to evaluate the materials and documents on record with a view to finding out if the facts emerging there from, taken at their face value, disclosed the existent of all the ingredients constituting the alleged offence. What need to be considered is whether there is ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At the stage, the court is expected to go deep into the provative value of the material on record of the court not is required to appreciate evidence to conclude whether the material produced are sufficient are not for convicting the accused of the material brought on record by the prosecution has to be accepted as true the stage. At that stage, even strong

suspicious found on material which leads the court to form presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged would justify the framing of charge against the accused in-respect of the commission of the offence.

प्रस्तुत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षियों के साक्ष्य से घ ाटना का समर्थन किया है, जबकि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है और उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। इन सभी कथनों व तथ्यों के संदर्भ में अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्ष्य जब पत्रावली पर आ जायेंगे, तभी उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया जा सकता है। आरोप के स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के घटना में संलिप्त न होने के संबंध में लिये गये बचाव पर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि दौरान विवेचना साक्षियो ने धारा 161 दं0प्र0सं0 में जो बयान विवेचक को दिये हैं, उनमें अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कथन किया है, जिसको इस स्तर पर अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, इस स्तर पर उनके बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। आरोप के स्तर पर केवल यह देखा जाना होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना जिन साक्ष्यों का संकलन किया गया है, उनके आधार पर प्रथम दृष्ट्या आरोप विरचित किये जाने और विचारण आरंभ किये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलन दौरान विवेचना किया गया है, उनके आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

इस तरह उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुशीलन के उपरान्त यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा द्वारा सत्र वाद संख्या 2513/2022 मु0अ0सं0 144/2022 अंतर्गत धारा–354क भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना–निगोंहा, जनपद लखनऊ, में आरोप बनाये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप लंच बाद पेश को पेश हो।

दिनांक–16.04.2025

विशेष न्यायाशीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

लंच बाद

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354क भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 19.06.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।